# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

## पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 168 / 2012

1. विनोदकुमार पुत्र रामप्रताप
2. कमला पत्नी विनोदकुमार

अकवाम बिश्नोई निवासीगण 35 एम एल (बारांवाली) तहसील तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

---- अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर ।
2. मृतक कुशलाराम के वारिसान

2/1 कृष्णलाल पुत्र कुशलाराम
2/2 बालादेवी बेवा भादरराम पुत्र कृशलाराम
2/3 भरतकुमार पुत्र भादरराम
2/4 सीताराम पुत्र भादरराम
2/5 लक्षमण पुत्र भादरराम
2/6 विष्णुदत पुत्र रामरात पुत्र कुशलाराम
2/7 तुलसीदेवी बेवा रामरात
2/8 उर्मिलादेवी पुत्री रामरात
2/9 चन्द्रकला बेवा राजेन्द्र पुत्र कुशलाराम
2/10 बिरमादेपी पुत्री कुशलाराम पत्नी भूपसिंह

जाति बिश्नोई निवासीगण 9 एम के तह.रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/11 रूबी, रेणु, डिम्पल, द्रोपती, सन्तोष, पवनकुमार, सोनू, मोनू पिसरान राजेन्द्र पुत्र कुशलाराम नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता चन्द्रकला बेवा राजेन्द्र अकवाम बिश्नोई निवासीगण 9 एम के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

2/12 कृष्णकुमारी पुत्री भादरराम पत्नी बनवारीलाल जाति बिश्नोइ निवासी शेरेका तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

19/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

2/13 सरस्वती पुत्री कुशलाराम पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई निवासी शेरेका तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।

2/14 सुन्दरी पुत्री कुशलाराम पत्नी रामसिंह जाति बिश्नोई निवासी निवासी बुरजगमू तहसील व जिला सिरसा (हरियाण)

2/15 कमला पुत्री रामरात पुत्र कुशलाराम जाति बिश्नोई निवासी 9 एमके तहसील रायसिंहनगर ।

2/16 निर्मला पुत्री रामरात पुत्र कुशलाराम जाति बिश्नोई निवासी 9 एमके तहसील रायसिंहनगर ।

2/17 अनुसूईया देवी पुत्री रामरात पुत्र कुशलाराम जाति बिश्नोई निवासी 9 एमके तहसील रायसिंहनगर ।

2/18 राधा पुत्री भादरराम पत्नी बालकिशन जाति बिश्नोई निवासी लालचंद ढाणी चक 3ए एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।

2/19 रामी पुत्री भादरराम पत्नी भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

2/20 बेबी पुत्री भादरराम पत्नी धर्मपाल जाति बिश्नोई निवासी लालचंद की ढाणी चक 3 ए एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

2/21 ज्ञानू पुत्री भादरराम पत्नी विष्णु जाति बिश्नोई निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3. मृतक नत्थूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 35 एम एल तहसील रायसिंहनगर ——

| | |
|---|---|
| 3/1 ओमप्रकाश<br>3/2 सरस्वती<br>3/3 मूर्ति<br>3/4 सोमाबाई<br>3/5 शंकुतला | पिसरान नत्थूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासीगण 35 एम एल (बारांवाली) तहसील रायसिंहनगर। |

3/6 शीलवंती पत्नी नत्थूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 35 एम एल (बारांवाली) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेन्ट्स

19/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

दिनांक 14.08.2012

उपस्थितिः–

श्री कृष्णलाल अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

श्री रामेश्वर सुथार अभिभाषक रेस्पो.

**निर्णय** **दिनांकः 19.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है रामचन्द्र ने जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष राज.उपनिवेशन की धारा 11/14 के तहत पेश कर निवेदन किया कि कुशलाराम के पास 7 मुरब्बा जमीन है। उसके पास उक्त मुरब्बा के अलावा 49.10 बीघा भूमि आरजी काश्त पर है लेकिन उसने गलत तथ्य पेश कर 18.15 बीघा भूमि का आवंटन कराया है। अतः चक 35 एम एल के मु. नं. 60 में 9.15 बीघा , मु.नं. 70 में 3 बीघा एवं 76 में 6 बीघा कुल 18.15 बीघा भूमि का आवंटन खारिज किया गया है जिसपर दिनांक 09.04.69 को मु.नं. 60 की 9.18 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध कुशलाराम ने नजरसानी पेश की जो दिनांक 30.08.72 को खारिज कर दी जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जो 20.01.73 को खारिज कर दी जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में याचिका पेश की जो स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर दिनांक 09.01.98 को कुशलाराम के नाम से आवंटित 18.15 बीघा भूमि का आवंटन खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 20.05.98 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 14.08.12 को विवादित 18.15 बीघा भूमि रकबा राज घोषित कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

19/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश की पालना में अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया है। कोई भी तथ्य अपीलांट द्वारा छुपाया नहीं गया था। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया गयाा है जो स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने लिखित बहस पेश कर कथन किया है कि विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया है जिसमें से मु.नं. 70 की 3 बीघा व 76 की 6 बीघा कुल 9 बीघा भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश को निरस्त कर 9 बीघा भूमि का कब्जा अपीलांट को दिलाये जाने में रेस्पों. को कोई एतराज नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश को सही बताया एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 14.08.12 के विरूद्ध दिनांक 30.10.12 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा

19/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14.08.12 के विरूद्ध पेश की है जिसके अनवान प्रकरण सं. 65/1998

(1) मृतक कुशलाराम के वारिसान

1– कृष्णलाल पुत्र कुशलाराम 2– बालादेवी बेवा भादरराम 3– भरतकुमार पुत्र भादराम पुत्र कुशलाराम 4– सीताराम पुत्र भादरराम पुत्र कुशलाराम 5–लक्ष्मणराम पुत्र भादरराम पुत्र कुशलाराम 6– विष्णुदत पुत्र रामरात पुत्र कुशलाराम 7– तुलसी बेवा रामरात पुत्र कुशलाराम 8– उर्मिलादेवी पुत्री रामरात पुत्र कुशलाराम 9– चन्द्रकला बेवा राजेन्द्र पुत्र कुशलाराम 10– विरमादेवी पुत्री कुशलाराम पत्नी भूपसिंह 11– रूबी, रेणु, डिम्पल, द्रोपदी, सन्तोष, पवनकुमार, सोनू, मोनू पि0 राजेन्द्र पुत्र कुशलाराम नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता चन्द्रकला बेवा राजेन्द्र अकवाम बिश्नोई निवासीगण 9 एम के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

12– कृष्णकुमारी पुत्री भादरराम पत्नी बनवारी जाति बिश्नोई निवासी फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर।

13– सरस्वती पुत्री कुशलाराम पत्नी हेतराम बिश्नोई नि0 शेरेका तहसील टीबी।

14– सुन्दरी पुत्री कुशलाराम पत्नी रामसिंह बिश्नोई निवासी बुरजमगू तहसील व जिला सिरसा।

15– कमला पुत्री रामरात पुत्र कुशलाराम सा0 9 एम के तहसील रायसिंहनगर।

16– निर्मला पुत्री रामरात पुत्र कुशलाराम सा0 9 एम के तहसील रायसिंहनगर।

17– अनुसूईयादेवी पुत्री रामरात पुत्र कुशलाराम सा0 9 एम के तहसील रायसिंहनगर।

18– राधा पुत्री भादरराम पत्नी बालकिशन जाति बिश्नोई निवासी नि0 लालचन्द ढाणी चक 3 ए एम तहसील रावतसर।

19– रामी पुत्री भादरराम पत्नी भगवानाराम सा0 फौजूवाला तह0 रायसिंहनगर।

19/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

20– बेबी पुत्री भादरराम पत्नी धर्मपाल बिश्नोई नि0 लालचन्द की ढाणी चक 3 ए एम तहसील रावतसर।

21– झानू पुत्री भादरराम पत्नी विष्णु बिश्नोई नि0 सतजण्डा तहसील रायसिंनगनर।

बनाम

1– राजस्थान सरकार

2– नथूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोइ नि0 35 एम एल तहसील रायसिंहनगर मृतक के वारिसान :–

1– ओमप्रकाश पुत्र 2– सरस्वती 3– मूर्ती 4– सोमाबाई 5–शकुन्तला पुत्रीयां 6– शीलवंती ( पत्नी)

प्रकरण सं. 2/2001

कृष्णलाल पुत्र कुशलाराम जाति बिश्नोई निवासी बारांवाली तहसील रायसिंहनगर।

बनाम

1– मृतक नथूराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी बारावाली तहसील रायसिंहनगर के वारिसान

1– ओमप्रकाश 2– सरस्वती 3– मूर्ती 4– सोमाबाई 7– शंकुतला पुत्र/पुत्रीयां 6– शीलवंती पत्नी

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथनेां की पुनरावृति की एवं रेस्पों. अभिभाषक द्वारा लिखित बहस दिनांक 15.09.17 में अपीलांट के हितों को Protect करने की बहस की लिखी है जो अभिभाषक द्वारा अपीलांट से किस Nexus से यह जबाब दिया है अलग से विचारणीय बिन्दु है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलाधीन विवादित आराजी का विवाद की पत्रावलियों में विविध प्रा.पत्र सं. 43/82 दर्ज रजिस्टर दिनांक 27.01.1982 निर्णय दिनांक 09.01.98 के कुल कागजात क 119 व ख 92 योग 211 का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:–

19/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

| क्र.सं. | नाम कागजात पार्ट ए | तादात कागजात |
|---|---|---|
| 1. | सरवर्क | 2 |
| 2. | फर्दअहकाम | 21 |
| 3. | दर0 नथूराम | 1 |
| 4. | फहस्ति मय दस्तावेज | 7 |
| 5. | रिपोर्ट तहसील सं. 3360 | 1 |
| 6. | दर0 नथूराम | 1 |
| 7. | दर0 नथूराम | 1 |
| 8. | फहस्ति मय दस्तावेज | 2 |
| 9. | दर0 नथूराम | 2 |
| 10. | दर0 नथूराम | 1 |
| 11. | फहस्ति मय दस्तावेज | 8 |
| 12. | फहस्ति मय दस्तावेज | 6 |
| 13. | रिपोर्ट तहसील सं. 393 | 1 |
| 14. | फोटो प्रति आवंटन आदेश | 2 |
| 15. | रिपोर्ट तहसील सं. 1537 | 1 |
| 16. | फहरिस्त मय फोटो प्रति जमाबन्दी | 7 |
| 17 | फहरिस्त मय दस्तावेज | 33 |
| 18. | दर0 नथूराम | 2 |
| 19. | फहरिस्त मय जमाबन्दी | 2 |
| 20. | आर.ए.ए. पत्र मय निर्णय नकल | 2 |
| 21. | लिखित बहस रामचन्द्र | 8 |
| 22 | लिखित बहस कुशलाराम | 8 |
| | पार्ट ए योग | 119 |

| क्र.सं. | नाम कागजात पार्ट बी | तादात कागजात |
|---|---|---|
| 1. | नोटिस | 17 |
| 2. | पत्र | 4 |

19/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

| | | |
|---|---|---|
| 3. | पत्र | 4 |
| 4. | पत्र | 4 |
| 5. | पत्र | 4 |
| 6. | पत्र | 4 |
| 7. | पत्र | 4 |
| 8. | पत्र | 4 |
| 9. | पत्र | 4 |
| 10. | पत्र | 4 |
| 11. | पत्र | 5 |
| 12. | पत्र | 4 |
| 13. | पत्र | 4 |
| 14. | पत्र | 2 |
| 15. | तलवाना | 1 |
| 16. | परचा पैरवी पत्र | 4 |
| 17 | वकालतनामा | 5 |
| 18. | परचा पैरवी पत्र | 8 |
| 19. | पत्र | 6 |
| | योग पार्ट बी | 92 |

का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट से सम्बन्धित कोई पत्र इत्यादि संदर्भ आदेश नहीं है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली जिसकी अपील विचाराधीन है दायर रजिस्टर 65/1998 दायरी की दिनांक 09.07.98 निर्णय दिनांक 14.08.12 तादात कागजात क 67 व ख 39 कुल 106 का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः–

| क्र.सं. | नाम कागजात पार्ट ए | तादात ागजात |
|---|---|---|
| 1. | सरवर्क | 1 |
| 2. | फर्दअहकाम | 17 |
| 3. | निर्णय जिला कलक्टर | 6 |
| 4. | प्रा0पत्र कृष्णलाल | 1 |
| 5. | कार्यालय नोटशीट | 1 |

19/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

| | | |
|---|---|---|
| 6. | आर.ए.ए. का पत्र व निर्णय | 4 |
| 7. | प्रा.पत्र रामचन्द्र | 1 |
| 8. | प्रा. पत्र कृष्णलाल | 1 |
| 9. | एस डी एम रायसिंहनगर का पत्र एवं मय संलग्न उक्तानुसार | 26 |
| 10. | प्रा.पत्र ओमप्रकाश मय मृत्यु प्रमाण पत्र | 2 |
| 11. | प्रा. पत्र ओमप्रकाश | 1 |
| 12. | प्रमाणित प्रति निर्णय डी एम | 6 |
| | पार्ट ए योग | 67 |

| क्र.सं. | नाम कागजात पार्ट बी | तादात कगजात |
|---|---|---|
| 1. | एस डी एम रायसिंहनगर पत्र | 1 |
| 2. | रीडर शाखा पत्र | 1 |
| 3. | रीडर शाखा पत्र | 4 |
| 4. | नोटिस | 27 |
| 5. | वकालतनामा | 6 |
| | योग पार्ट बी | 39 |

इन में भी कहीं भी अपीलांट विनोद कुमार का जिक्र नहीं है साथ ही अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.08.12 में भी अपीलांट के claim का कोई हवाला नहीं है फिर भी अपीलांट द्वारा अपील के साररूप में अनुतोष चाहा है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 14.08.2012 के तहत प्रकरण सं. 65/98 मृतक कुशलाराम के वारिसान के नाम की भूमि चक 35 एम एल तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. पुराना 76 नया 81 के 6 बीघा व मु.नं. पुराना 78 नया 84 के 3 बीघा कुल 9 बीघा यानि 2.277हे0 नहरी भूमि की हद तक जोकि मिसल सं. 7/2007 दिनांक 3.05.07 को आवंटन अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर द्वारा अपीलांट के नाम टी.सी. से पुख्ता आवंटन किया गया है कि हद तक आदेश दिनांक 14.08.2012 अपास्त किया जाकर उक्त भूमि अपीलांट के नाम बतौर आवंटन बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

19/6/12

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में सम्वत् 2066–69 की जमाबन्दी पेश की जिसमें नोट अंकित है कि " विनोद कुमार वल्द रामप्रताप, कमलादेवी पत्नी विनोद कुमार कोम बिश्नोई सा0 देह ब.हि.ब. गैर खातेदार इ.नं. 286 खारिज 318 आवंटन की Relief इस अपील में चाही है जो विधिक रूप से या तो नामान्तकरण 286 की अपील हो या जो आवंटन खारिज हुआ है उसको चुनौती देकर मिल सकती है जो नहीं किया है साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि अपीलांट को अनुतोष प्राप्त करने का सही रास्ता नहीं मिला हो या उसें अनुतोष के विकल्प यथा नामान्तरणकरण की अपील आवंटन खारिजी की अपील के विकल्प खुले हो फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेजों के क्रम सं. 8 पर रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 19.12.05 अनुसार विवादित आराजी मुताबिक जमाबन्दी कुशला की गैर खातेदारी दर्शायी वही इसी भूमि को विनोद कुमार की टी.सी. बताया है दोनों विरोधाभासी होकर असम्भव है। अतः राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 63(iv ) पठित मियाद अधि. 1963 के पार्ट iv व रेस्पों वकील द्वारा रेस्पों. के हितों के विरूद्ध लिखित बहस परीक्षण योग्य है। अतः सीपीसी की धारा 107 के प्रावधानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 14.08.2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट के claim का परीक्षण कर अपीलांट की टी.सी. आवंटन की मूल पत्रावली, पुख्ता आवंटन की मूल पत्रावली में मुख्य रूप से अपीलांट का आवंटन/पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट, आवंटन सलाहकार समिति का विनिश्चय तलब किया जाकर अधी. न्यायालय द्वारा देखा जाना अपेक्षित है, साथ ही भूमि लम्बे समय से रेस्पों. के नाम से चली आ रही है बाबत विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर पुनः आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)